Email-arcbikaner.cswri@icar.gov.in

Ph. 0151-2250936

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,
मरू क्षेत्रीय परिसर, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Arid Region Campus, Post Bichhwal Ind. Area, Bikaner 334 006

क्रमांकः–3(55)BK/ 2009/

दिनांकः– 15.06.2019

निविदा सूचना

संस्थान के दो ट्रेक्टरों को चलाने का कार्य जिसमें हैरो, प्लाऊ, कल्टीवेटर, लेवलर, सीडड्रील, थ्रेसर, कुट्टी की मशीन, टेंकर, ट्रोली, पोस्ट होल डिगर तथा अन्य यंत्रों को चलाने का कार्य तथा ट्रेक्टरों से सम्बन्धित पंचर, ग्रीस, साफ–सफाई, धुलाई इत्यादि से संबंधित कार्य के लिए निर्धारित निविदा फार्म में दरें दिनांक 25.06.2019 को 1 बजे तक अरनेस्ट मनी रू.20,000/– डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ भरी हुई निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। शर्तों का विवरण निर्धारित निविदा प्रपत्र में अंकित है। निविदा प्रपत्र कार्यालय से दिनांक 25.06.2019 को 4.00 बजे तक रू.1000/– का शुल्क जमा करवाकर अथवा वेब साईट www.cswri.res.in से डाउनलोड कर (रू.1000/– के शुल्क का डी.डी सहित) प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 26.06.2019 को 3 बजे खोली जायेंगी। संस्थान को किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रभागाध्यक्ष

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान,

मरू क्षेत्रीय परिसर, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर (राजस्थान) – 334006

क्रमांकः 3(6)एसपी / बीके / 2016 / दिनांकः

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य की मात्रा	दर एक मुश्त प्रतिमाह सभी करों एवं खर्चो सहित (अंको व शब्दों में)
1.	संस्थान के दो ट्रेक्टरों को चलाने का कार्य जिसमें हैरो, प्लाऊ, कल्टीवेटर, लेवलर, सीडड्रील, थ्रेसर, कुट्टी की मशीन, टेंकर, ट्रोली, पोस्ट होल डिगर तथा अन्य यंत्रों को चलाने का कार्य तथा ट्रेक्टरों से सम्बन्धित पंचर, ग्रीस, साफ–सफाई, धुलाई इत्यादि से संबंधित कार्य।	1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक	Rs. __________ रूपये ____________________

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर **संस्थान के दो ट्रेक्टरों को चलाने का कार्य जिसमें हैरो, प्लाऊ, कल्टीवेटर, लेवलर, सीडड्रील, थ्रेसर, कुट्टी की मशीन, टेंकर, ट्रोली, पोस्ट होल डिगर तथा अन्य यंत्रों को चलाने का कार्य तथा ट्रेक्टरों से सम्बन्धित पंचर, ग्रीस, साफ–सफाई, धुलाई इत्यादि** से संबंधित कार्य को अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट / जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि समय–समय पर उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त संस्थान का कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्मएवं प्रभारी वाहन अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान / हस्तक्षेप करने / या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत / जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे / हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक --------

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन / मोबाईल नं.

संस्थान के किन्ही दो ट्रेक्टरों को चलाने का कार्य जिसमें हैरो, प्लाऊ, कल्टीवेटर, लेवलर, सीडड्रील, थ्रेसर , कुट्टी की मशीन, टेंकर, ट्रोली, पोस्ट होल डिगर तथा अन्य यंत्रों को चलाने का कार्य तथा ट्रेक्टरों से सम्बन्धित पंचर, ग्रीस, साफ–सफाई, धुलाई इत्यादि से संबंधित कार्य करने कि नियम व शर्तें

1. सफल अनुबंधकर्ता को वैध लाईसेंस धारी ट्रेक्टर चालकों को टेस्ट हेतु लाना होगा जिसमें से उपयुक्त पाये गये चालकों को कार्य निष्पादित करने हेतु लगाना होगा। जिनके वैद्य चालक अनुज्ञा पत्र की प्रति अनुभाग में जमा करवाना होगा।
2. ट्रेक्टर/यन्त्रों को किसी भी स्थिति में खराब होने पर अविलम्ब बताए गए मिस्त्री के वर्कशॉप में मरम्मत हेतु पहुंचाने का कार्य ठेकेदार को करना होगा।
3. उपरोक्त द र्शाये गये कार्यो को करने हेतु संस्थान की ओर से कोई सहायक उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा एवं सभी कार्य अनुबन्धकर्ता को स्वंय ही करवाने होंगे।
4. अनुबन्धकर्ता को सम्बन्धित ट्रेक्टरों की लॉगबुक पर हस्ताक्षर तथा सत्यापित अविलम्ब करवाना होगा।
5. **अनुबन्धकर्ता/ट्रेक्टर चालको को कार्यालय अवधि के दौरान खाली समय में (ट्रेक्टर से संबंधित कार्य न होने पर) संस्थान/अनुभाग के अन्य कृषि व इससे सम्बन्धित कार्यो में सहयोग करना होगा।**
6. आपातकालीन परिस्थितियों में ट्रेक्टरों को चलाने की आव यकता होने पर अनुबन्धकर्ता को तुरन्त प्रभाव से संस्थान में उपस्थित होना होगा। अनुबन्धकर्ता को नियमित रुप से ट्रेक्टर में डीजल, ऑयल आदि की खपत कम करने के सभी उपायों को ध्यान में रखना अति आव यक है। इसके साथ–साथ नियमित रुप से ट्रेक्टरों की सामान्य देखभाल/रखरखाव जैसे हवा, साफ–सफाई, ग्रीसिंग करना व ट्रेक्टर से सम्बन्धित सभी यंत्रों की देखभाल, रख–रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना आव यक है।
7. अनुबन्ध कार्य की अवधि में अनुबन्धकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य करते समय यदि मादक पदार्थो का उपयोग करते हुए देखा गया/पाया गया तो अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।

कटौतियाँः–

1. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे, कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोशजनक नहीं होने पर अथवा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत रा ि जब्त करली जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
2. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तेः

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 31.03.2019 के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. सफल अनुबंध कर्ता को अनुबंध की कुल राशि का दस प्रतिशत जमा करना होगा। सफल अनुबंध कर्ता की जमा धरोहर राशि अनुबंध संतोषजनक पूर्ण होने पर लौटा दी जाएगी अन्यथ धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
3. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आव यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। **निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।**
4. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
5. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (नदकमत जांपदहद्ध देना होगा की वे स्वयं रोजाना प्रभारी, फार्म एवं प्रभारी वाहन अनुभाग से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
6. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
7. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का ळच्थ्ध्म्ैप् इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
8. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले सं ोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
9. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की

जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

10. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

11. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।

12. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा‍ि ा को जब्त कर लिया जावेगा।

13. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।

14. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार संस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।

15. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

16. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

17. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।

18. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

19. अनुबन्ध कार्य के बारे में अधिक जानकारी प्रभारी, फार्म अनुभाग/प्रतिनिधियों से कार्यालय समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा दूरभाश नम्बर 0151–2250936 पर प्राप्त की जा सकती है।